छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा | त्रयोदश सत्र | अंक-01

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 सितम्बर, 2017

(भाद्रपद 31, शक संवत् 1939)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. राष्ट्रगीत

वन्दे मातरम् की धुन बजाई गई ।

2. जन्मदिवस की शुभकामनाएं

माननीय अध्यक्ष ने श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री एवं श्रीमती रमशीला साहू, महिला एवं बाल विकास मंत्री को सदन की ओर से जन्मदिवस की शुभकामनाएं दीं।

3. निधन का उल्लेख

माननीय अध्यक्ष ने डॉ. अमोल सिंह सलाम, अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य के निधन पर शोकोद्‌गार व्यक्त किए।

मुख्यमंत्री-डॉ.रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष-श्री टी.एस.सिंहदेव एवं श्री अजय चंद्राकर-संसदीय कार्य मंत्री ने भी शोकोद्‌गार व्यक्त किए।

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत को श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्त परिवार के लिए संवेदना प्रकट की गई।

(दिवंगत के सम्मान में सदन की कार्यवाही 11.09 बजे स्थगित होकर
11.17 बजे पुन: प्रारंभ हुई)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

4. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक शुक्रवार, दिनांक 22 सितम्बर, 2017 में लिए गए निर्णय अनुसार वर्ष 2017-2018 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर चर्चा, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण के लिए 3.00 घंटे का समय निर्धारित किया गया है।

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सदन कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिश को स्वीकृति देता है ।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

5. अगस्त, 2017 सत्र के समय पूर्व सत्रावसान के कारण बैठक हेतु पूर्व निर्धारित तिथियों की मुद्रित प्रश्नोत्तरी का पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 13-क की अपेक्षानुसार अगस्त, 2017 सत्र का दिनांक 03 अगस्त, 2017 को समय पूर्व सत्रावसान के कारण बैठक हेतु पूर्व निर्धारित तिथियों दिनांक 04, 08, 09, 10 एवं 11 अगस्त, 2017 की मुद्रित प्रश्नोत्तरी प्रमुख सचिव, विधान सभा द्वारा पटल पर रखी गयी।

6. अगस्त, 2017 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों के संकलन का पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 13-ख की अपेक्षानुसार अगस्त, 2017 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन प्रमुख सचिव, विधान सभा द्वारा पटल पर रखा गया।

7. नियम 267-क के अधीन अगस्त, 2017 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार नियम 267-क के अधीन अगस्त, 2017 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन प्रमुख सचिव, विधानसभा द्वारा पटल पर रखा गया।

8.सभापति तालिका की घोषणा

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट किया गया :-

(1) श्री देवजी भाई पटेल
(2) श्री सत्यनारायण शर्मा
(3) श्री संतोष बाफना
(4) श्री शिवरतन शर्मा
(5) श्री धनेन्द्र साहू

9. वर्ष 2017-2018 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने वर्ष 2017-2018 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया।

माननीय अध्यक्ष ने अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा और मतदान के लिए शुक्रवार, दिनांक 22 सितम्बर, 2017 की ही तिथि निर्धारित की।

10. वर्ष 2017-2018 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि -अब अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी । परंपरानुसार सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उन पर एक साथ चर्चा होती है। अत: मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि वे सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत कर दें।

(सदन द्वारा सहमति दी गई।)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि :-

दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या - 13, 29, 41, 64 एवं 67 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर दो हजार एक सौ एक करोड़, चौवन लाख, सतहत्तर हजार, एक सौ रूपये की अनुपूरक राशि दी जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने संक्षिप्त भाषण दिया।

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री शिवरतन शर्मा,

(सभापति महोदय (श्री संतोष बाफना) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री धनेन्द्र साहू, अवधेश सिंह चंदेल (जारी)

(1.30 से 3.02 बजे तक अंतराल)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री अवधेश सिंह चंदेल, सत्यनारायण शर्मा, देवजी भाई पटेल,

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्री कवासी लखमा,

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

डॉ. विमल चोपड़ा, सर्वश्री उमेश पटेल, केशव चंद्रा, बृहस्पत सिंह, श्रीमती सरोजनी बंजारे, सर्वश्री मोहन मरकाम, चुन्नीलाल साहू (खल्लारी),

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री भोलाराम साहू, लालजीत सिंह राठिया, डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी,

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पदक्रम 8 का कार्यपूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

श्री दलेश्वर साहू,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

अनुपूरक अनुदान की मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2017 (क्रमांक-18 सन् 2017)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2017 (क्रमांक-18 सन् 2017) का पुर:स्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2017 पर विचार किया जाय ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2, 3 व अनूसूची इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2017 (क्रमांक-18 सन् 2017) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
विधेयक पारित हुआ ।

12. बंदी एवं रिहाई की सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, रायपुर की ओर से उन्हें सूचना प्राप्त हुई है कि - माननीय श्री भूपेश बघेल, सदस्य को भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 जाफ्ता फौजदारी के तहत् आज शुक्रवार, दिनांक 22 सितम्बर, 2017 को अपराह्न 4.30 बजे मंडी ग्राउंड, अंवति बाई चौक, रायपुर में गिरफ्तार किया गया तथा आज ही शुक्रवार, दिनांक 22 सितम्बर, 2017 को अपराह्न 4.40 बजे नि:शर्त रिहा कर दिया गया है।

13. सत्र का समापन

अध्यक्षीय उद्‍बोधन

चतुर्थ विधान सभा के तेरहवें सत्र के समापन अवसर पर आप सभी के सहयोग के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ । जैसा कि आपको विदित है कि यह एक दिवसीय सत्र अनुपूरक बजट के उद्धेश्य से आहूत किया गया ।

हमारा छत्तीसगढ़ राज्य कृषि प्रधान राज्य है यहां की संपूर्ण व्यवस्था कृषि पर ही निर्भर करती है । जब तक हमारे प्रदेश के अन्नदाता हमारे किसान भाई स्वस्थ, समृद्ध और प्रसन्न रहेंगे तभी हम विकास की परिभाषा को मूर्त रूप दे सकते हैं ।

सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने संवेदना के धरातल से जुड़कर हमारे प्रदेश के किसान भाईयों की बेहतरी के लिए बीते वर्ष की धान खरीदी में राज्य के किसानों को समर्थन मूल्य से अतिरिक्त बोनस देने का निर्णय लिया और इसी संदर्भ में इस अनुपूरक बजट के माध्यम से दो हजार एक सौ करोड़, चौवन लाख, सतहत्तर हजार, एक सौ रूपये की अनुपूरक राशि स्वीकृत की गई है। मेरा विश्वास है कि प्रदेश के किसानों के हित से जुड़े इस निर्णय से आप सभी माननीय सदस्यगण सहमत होंगे और आपको प्रसन्नता हुई होगी, क्योंकि यह निर्णय पक्ष-प्रतिपक्ष से ऊपर उठकर सर्वहित पर केन्द्रित है।

आसंदी की यह अपेक्षा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष और आप माननीय सदस्यगणों के समन्वित प्रयास से राज्य की सर्वोच्च जन प्रतिनिधि संस्था कृषकों के हित के लिए ऐसे ही सतत् रूप से कार्य करे। आपको विदित है कि इस वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य के मैदानी क्षेत्रों में अल्प वर्षा के चलते अकाल की स्थितियां निर्मित हुई हैं। इन प्रतिकूल परिस्थितियों में हमारे किसान भाई-बहनों को हम क्या बेहतर से बेहतर सहयोग दे सकते हैं, यह हम सभी का लक्ष्य होना चाहिए ।

मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि छत्तीसगढ़ चतुर्थ विधान सभा के माननीय सदस्यगण और यह सदन संसदीय प्रक्रियाओं और परंपराओं के अनुपालन के साथ ही लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ता प्रदान करने में सफल रहा है। लोकतंत्र का उद्धेश्य ही लोक कल्याण है इस पवित्र सदन से आप सभी ने इस अनुपूरक चर्चा के दौरान जो भी बातें रखी वह प्रदेश के किसान भाईयों के कल्याण और हित पर केन्द्रित रही । मैं इसे सदन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ।

मैं, इस अवसर पर सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री टी.एस. सिंहदेव जी, संसदीय कार्य मंत्री श्री अजय चन्द्राकर जी सहित सभी माननीय मंत्रिगणों एवं माननीय विधायकों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिनके सहयोग से यह एक दिवसीय सत्र का संचालन हो सका।

मैं उपाध्यक्ष जी सहित सभापति तालिका के माननीय सदस्यों के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने सभा की कार्यवाही के संचालन में मुझे सहयोग दिया।

मैं सम्माननीय पत्रकार साथियों एवं प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं।

एक दिवसीय सत्र की समाप्ति के अवसर पर राज्य शासन के मुख्य सचिव सहित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी धन्यवाद देता हूं। सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था पूरे सत्र में कायम रखी।

मैं विधान सभा के प्रमुख सचिव, श्री देवेन्द्र वर्मा सहित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भी प्रशंसा करता हूं, जिन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण कुशलता एवं निष्ठा के साथ किया।

सत्र समापन के अवसर पर आगामी सत्र की संभावित तिथि घोषित की जाती है। आगामी सत्र दिसम्बर माह के द्वितीय/तृतीय सप्ताह में संभावित है।

हम सब छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कृत संकल्पित हों, इन्हीं भावनाओं के साथ ।

धन्यवाद

जय हिन्द, जय भारत, जय छत्तीसगढ़

डॉ.रमन सिंह-मुख्यमंत्री, श्री टी.एस. सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष एवं श्री अजय चंद्राकर-संसदीय कार्य मंत्री ने भी इस अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त किए।

14. राष्ट्रगान

(राष्ट्रगान जन-गण्-मण की धुन बजाई गई)

सायं 6.49 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा

प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा